भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न सं.2376

(जिसका उत्तर सोमवार 3 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है)

आरबीआई हस्तक्षेप और विदेशी मुद्रा भंडार

2376. **एडवोकेट चन्द्र शेखर:**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए जनवरी, 2026 से देश के विदेशी मुद्रा भंडार में से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बेचे गए अमेरिकी डॉलर की कुल राशि कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में इसके उच्चतम स्तर से आई गिरावट के क्या कारण है; और

(ग) फॉरेन करेंसी नॉन-रेजीडेंट (बैंक) [एफसीएनआर(बी)] जमाओं और बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के लिए घोषित रियायती अदला-बदली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है, साथ ही इनकी संभावित लागत और लाभों का सरकार द्वारा आकलन क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख) भारतीय रुपये (रुपये) का मूल्य बाजार द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसका कोई लक्ष्य या विशिष्ट स्तर या बैंड नहीं होता है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) नियमित रूप से विदेशी मुद्रा बाजार की निगरानी करता है और अत्यधिक अस्थिरता की स्थितियों में हस्तक्षेप करता है। आरबीआई से उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, जनवरी-मई 2026 के दौरान आरबीआई के विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप की राशि 14.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निवल बिक्री थी।

विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर) में उतार-चढ़ाव कई कारकों के कारण होते हैं, जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री, एफईआर से सृजित होने वाली आय, केंद्र सरकार की विदेशी सहायता प्राप्तियां और आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन शामिल हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा अंतर्वाह को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [एफसीएनआर (बी)] जमाओं, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और ओवरसीज विदेशी मुद्रा उधारों (ओएफसीबी) के लिए रियायती स्वैप सुविधा शामिल है, जिसकी घोषणा दिनांक 5 जून, 2026 को की गई थी। रियायती स्वैप सुविधाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

- 3-5 वर्ष के नए एफसीएनआर (बी) जमा जुटाने के लिए प्राधिकृत डीलर (एडी) बैंकों द्वारा किए गए पूर्ण हेजिंग लागत को वहन करने वाली विदेशी मुद्रा स्वैप की सुविधा दिनांक 16 अक्टूबर, 2026 तक लागू है। इसके अलावा, आरबीआई ने दिनांक 30 सितंबर, 2026 तक जुटाए गए तीन से पांच वर्ष की अवधि वाली नई एफसीएनआर (बी) जमाओं को नकद आरक्षित अनुपात और सांविधिक नकदी अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता से छूट दी है। स्वैप योजना के तहत जुटाई गई पात्र एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दर की सीमा को भी हटा दिया गया है।

- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ईसीबी को प्रोत्साहित करने और एडी बैंकों द्वारा जुटाए गए ओएफसीबी (तीन वर्ष की न्यूनतम परिपक्वता वाले)के लिए रियायती विदेशी मुद्रा स्वैप की एक समान सुविधा की घोषणा की गई है जिसमें स्वैप की रियायती दर 1.5 प्रतिशत प्रति वर्ष निर्धारित की गई थी जिसका छमाही आधार पर निर्धारण किया जाएगा। स्वैप सुविधा दिनांक 15 जनवरी, 2027 तक लागू है।

- उपर्युक्त योजनाओं के संदर्भ में जुटाए गए एफसीएनआर (बी) जमा, ईसीबी और ओएफसीबी से उत्पन्न होने वाली स्वैप स्थितियों को ऑनशोर डिलिवरेबल सेगमेंट के लिए निर्धारित 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ओपन पोजिशन लिमिट (एनओपी-आईएनआर) से छूट दी गई थी, जिसे 27 मार्च, 2026 की अधिसूचना द्वारा लागू किया गया था।
- आरबीआई की दिनांक 20 जुलाई, 2026 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 8 जून से 17 जुलाई, 2026 तक उपरोक्त सुविधा के तहत जुटाए गए विदेशी मुद्रा अंतर्वाह इस प्रकार हैं:

प्रकार	**राशि (मिलियन अमेरिकी डॉलर)**
एफसीएनआर(बी) जमा	17,406
ओएफसीबी	1,970
ईसीबी	1,342
कुल	**20,718**

उपर्युक्त उपायों का उद्देश्य स्थिर विदेशी मुद्रा अंतर्वाह को आकर्षित करना और भारत के भुगतान संतुलन को सुदृढ़ करना है।

*****